भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 912

30 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में नर्सों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार

912. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में नर्सों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) कार्य करने की लंबी अवधि, कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या, कार्यस्थल पर सुरक्षा और नर्सों तथा अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के लिए क्रेच की आवश्यकता आदि की समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में उप-केन्द्रीय और अनुषंगी सेवाओं के लिए उपलब्ध ब्रिज कोर्स की स्थिति सहित नर्सों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या नर्सों की कार्य स्थितियों और कौशल में सुधार के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सरकार विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनाओं में नर्सों सहित सभी स्वास्थ्य परिचर्या कर्मिकों के लिए उपयुक्त कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित करती है और उनमें सुधार लाने के प्रयास करती है। ये कार्य स्थितियां विभिन्न अधिनियमों और सरकारी आदेशों द्वारा शासित हैं, जिन्हें रोगी परिचर्या को बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य परिचर्या परिणामों में पर्याप्त योगदान देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य पेशेवरों को अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में कार्यरत नर्सों की कार्य स्थितियों और वेतन की जांच करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। राज्यों और अन्य हितधारकों से प्राप्त सूचना की जांच करने के बाद समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं जिन्हें विधान/दिशानिर्देश **(संलग्न)** बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय "नर्सिंग सेवाओं के विकास" की केंद्रीय क्षेत्र की योजना का संचालन करता है। इस योजना के तहत, 30 प्रतिभागियों के लिए 7 दिनों की अवधि के लिए 2,28,500 रुपये प्रति कोर्स की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, नर्सों का लाइव रजिस्टर बनाने के उद्देश्य से नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग सिस्टम (एनआरटीएस) कार्यान्वित किया गया है और एनआरटीएस में 12.06 लाख नर्सों को नामांकित किया गया है।

*****

दिनांक 30.07.2024 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

मंत्रालय ने समिति की सिफारिशें अग्रेषित करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखा है।

(क) >200 बिस्तरों वाले अस्पतालों के मामले में, निजी नर्सों को दिया जाने वाला वेतन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समान सदृश ग्रेड की राज्य सरकार की नर्सों के वेतन के बराबर होना चाहिए।

(ख) >100 बिस्तरों वाले अस्पतालों के मामले में, निजी नर्सों को दिया जाने वाला वेतन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में समान सदृश ग्रेड की राज्य सरकार की नर्सों के वेतन की तुलना में 10% से अधिक कम नहीं होना चाहिए।

(ग) 50-100 बिस्तरों वाले अस्पतालों के मामले में, निजी नर्सों को दिया जाने वाला वेतन संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों में समान सदृश ग्रेड की राज्य सरकार की नर्सों के वेतन की तुलना में 25% से अधिक कम नहीं होना चाहिए।

(घ) निजी नर्सों को दिया जाने वाला वेतन किसी भी स्थिति में, यहां तक कि <50 बिस्तर वाले अस्पतालों के लिए भी, 20000/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए।

(ङ) नर्सों को दी जाने वाली कार्य स्थितियां जैसे छुट्टी, काम के घंटे, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन, आवास आदि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत राज्य सरकार की नर्सों को दिए जाने वाले लाभों के बराबर होनी चाहिए।

(च) निजी अस्पतालों/संस्थानों में कार्यरत नर्सों के मामले में उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विधान निरूपण/दिशा-निर्देश अपनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए।

*****